सं०: एस-11011/5/2016-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

*****

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक- 04.08.2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
प्रभारीग्रामीण स्वच्छता,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु दिशा-निर्देश-कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान स्कीम की शुरूआत से संबंधित।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु विश्व बैंक सहायता परियोजना अनुमोदित की है जिसमें एसबीएम(जी) के परिणामों की तुलना में कार्य निष्पादन के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन देना शामिल है। तदनुसार,"कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान स्कीम" के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और वह इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध है कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान स्कीम का कार्यान्वयन करें। यह दिशा-निर्देश एसबीएम(जी) दिशा-निर्देशों के भाग के रूप में होंगे।

संलग्न:- यथोक्त

भवदीय,

04/08/16

(सुनील कुमार)
अवर सचिव(एसबीएम)
दूरभाष:- 011-24369654

प्रति:

1. एसबीएम(जी) राज्य समन्वयक, सभी राज्य
2. तकनीकी निदेशक(एनआईसी)-मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु दिशा-निर्देश- कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान स्कीम की शुरूआत

पृष्ठभूमि

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] की शुरूआत 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ एक नई ग्रामीण स्वच्छता स्कीम के रूप में दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को हुआ था। मिशन व्यवहारगत परिवर्तन के क्रिया-कलापों; ग्राम स्तर पर वितरण तंत्र और कार्यान्वयन को मजबूत बनाने; और राज्यों को स्थानीय सभ्यता, प्रथाओं, मान्यताओं तथा मांगों को ध्यान में रखते हुए लचीलापन देने पर बल देता है। एसबीएम (जी) राज्यों के कार्यनिष्पादन के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन देता है। परिणामों के अतिरिक्त निष्कर्ष का भी आकलन किया जाना है और उन्हें पुरष्कृत करना है।

2. एसबीएम (जी) के अपेक्षित परिणामों तथा निष्कर्षों जैसे खुले में शौच की कमी, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांव का स्थायी रूप से प्राप्त होना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) में सुधार की प्राप्ति के प्रति एसबीएम (जी) के प्रयासों को पुनः दिशा देने हेतु एक प्रोत्साहन ढांचे की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इन परिणामों का एक स्वतंत्र तथा मान्यता प्राप्त जांच एजेंसी के माध्यम से विश्वसनीय रूप से आंका जाना है। अन्य बातों के साथ-साथ व्यवहारगत परिवर्तन संवाद को सशक्त करने, क्षमता संवर्धन और कार्यक्रम प्रबंधन आदि की दृष्टि से कार्यान्यवयन क्षमताओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

3. इस पृष्ठभूमि में वर्तमान एसबीएम (जी) में राज्यों के कार्यनिष्पादन के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन के लिए विश्व बैंक सहायता' की परियोजना को अनुमोदित (जो आगे "परियोजना" के नाम से लिखा गया है) किया है। कार्य-निष्पादन को संवितरण- सम्बन्ध सूचकांक (डीएलआई) नामक नियत कार्य-निष्पादन सूचकांकों द्वारा मापा जाएगा।

4. इन दिशा-निर्देशों में परियोजना डिजाइन, डीएलआई तथा प्रोत्साहन वित्तीय तंत्र के विवरण की व्याख्या की गई है। ये दिशा-निर्देश एसबीएम (जी) दिशा-निर्देशों के अंश होंगे।

परियोजना डिजाइन

5. विश्व बैंक सहायता परियोजना में एक तंत्र विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से एसबीएम (जी) कार्यक्रम के कुछ विशिष्ट परिणामों के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसे डीएलआई के माध्यम से मापा जाएगा, विवरण निम्नलिखित है। अन्य शब्दों में

इस परियोजना से एसबीएम (जी) के भाग के रूप में 'स्वच्छ भारत मिशन के लिए विश्व बैंक सहायता स्कीम' की शुरूआत करना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित परियोजना कोई नई स्कीम नहीं है बल्कि वर्तमान एसबीएम (जी) का भाग है और राज्यों को प्रोत्साहन देने में सहायता करने हेतु बाह्य सहायता परियोजना (ईएपी) के रूप में एसबीएम (जी) को आंशिक वित्त पोषण उपलब्ध कराएगा। विश्व बैंक सहायता 'परिणामों के लिए कार्यक्रम' वित्तीयन तंत्र का उपयोग करके कार्य-निष्पादन- आधारित वित्त पोषण के माध्यम से उपलब्ध होगी।

6. कुल विश्व बैंक परियोजना सहायता अमरीकी डॉलर 1500 मिलीयन (9000 करोड़ रुपए @ अमरीकी डॉलर 1= 60 रुपए) के अनुपात में है, जिसमें से अमरीकी डॉलर 1475 मिलीयन (8850 करोड़ रुपए) राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए और अमरीकी डॉलर 25 मिलीयन (150 करोड़ रुपए) कार्यक्रम प्रबंधन और क्षमता सहायता के लिए उपलब्ध करायी जाएगी।

7. समग्र परियोजना उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच में कमी लाना और एसबीएम (जी) कार्यान्वयन की दिशा में क्षमता को सुदृढ़ बनाना है। परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचकी व्याप्ति में कमी
ii. खुले में शौच मुक्त गांव
iii. बेहतर ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन
iv. सुदृढ़ कार्यान्वयन क्षमता

8. परियोजना की प्रस्तावित अवधि पांच वर्ष है अर्थात् अप्रैल, 2016 से अप्रैल, 2021 है।

9. इस परियोजना में उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जहां एसबीएम (जी) कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

<u>संवितरण संबद्ध सूचक (डीएलआई)</u>

10. इस परियोजनामें कतिपय संवितरण संबद्ध सूचक (डीएलआई) आरंभ करना परिकल्पित है।

11. वे तीन डीएलआई जिनके आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान जारी किए जाएंगे, निम्नलिखित है:

i. खुले में शौच की व्याप्ति में कमी: इस परिणाम क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों की निधियां पिछले वर्ष की तुलना में राज्य में ग्रामीण परिवारों के बीच खुले में शौच में कमी के आधार पर जारी की जाएंगी। यह घरेलू स्तर का सूचक है। पहुँच, उपयोग और

शौचालयों की सुरक्षा पर घरेलू स्तरीय प्रश्नों के आधार पर खुले में शौच की व्याप्ति को मापा जाएगा।

ii. गांवों में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना: इस परिणाम क्षेत्र के अंतर्गत, दिए गए वर्ष में ओडीएफ गांवों में रह रही अनुमानित आबादी के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी। इसमें उन गांवों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने पिछले वर्षों में ओडीएफस्थिति प्राप्त की और ओडीएफ स्थिति को बनाए रखा है।

iii. एसएलडब्ल्यूएम सेवाप्राप्त ग्रामीणआबादी: इस डीएलआई के अंतर्गत, स्वीकार्यस्तर की एसएलडब्ल्यूएम सेवाएं प्राप्त कर रही आबादी के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी।

12. डीएलआई का ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस)

13. उपर्युक्त तीन डीएलआई के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षणके प्रत्येक चक्र में घटक होंगे जिनसे खुलेमें शौच, ओडीएफ स्थिति बनाए रखने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर सूचना का सृजन होगा। यह, सांख्यिकी सर्वेक्षण के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के दिनांक 31.10.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) के जरिए एमडीडब्ल्यूएस द्वारा कराया गया एक तीसरा पक्ष नमूना सर्वेक्षण होगा।

14. पहले एनएआरएसएस से डीएलआई के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध होंगे।

प्रोत्साहन अनुदान

15. राज्यों को यह प्रोत्साहन अनुदान, वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) के लिए राज्यों को जारीनिधियों के अतिरिक्त दिया जाएगा और केंद्र से राज्यों को 100% अनुदान के रूप में होगा।

16. भारत सरकार बेसलाइनपरिणामों के आधार पर राज्यों को पहले वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। दूसरे वर्ष से, उपर्युक्त पैरा 11 में उल्लिखित तीन डीएलआई के संबंध में प्रगति के आधार पर राज्यों को निधियां ज़ारी की जाएंगी।

17. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, एमडीडब्ल्यूएस से प्राप्त निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान निधियों का पर्याप्त हिस्सा (95 प्रतिशत से अधिक) जिला, ब्लॉक, जीपी आदि के उपयुक्त कार्यान्वयन स्तरों को हस्तांरित करेंगे। यह महत्वूपर्ण है किराज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम स्तर पर व्यवहारगत परिवर्तन को बनाए रखने केलिए कार्यान्वयन के उचित स्तर पर प्रोत्साहन हस्तांतरित करे। चूँकि, डीएलआई 2 ग्रामीण स्तर पर ओडीएफ स्थिति के स्थायित्व के लिए

प्रोत्साहनदेता है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि इस डीएलआई-2के संबंध में प्राप्त प्रोत्साहन अनुदान संबंधित गांवों तक पहुँचे और ग्राम स्तर पर किए गए निर्णय के अनुसार व्यय हो।

18. राज्यों के पास स्वच्छता सेक्टर जैसे वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के जरिएगांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना, समुदाय स्वच्छता परिसर, स्कूल/आंगनवाड़ी शौचालय, ग्रामीणस्वच्छता मार्ट और आईईसी/क्षमता संवर्धन/ट्रिगरिंग, स्वच्छता के लिए जल उपलब्ध कराना, घरेलूकचरोंके संग्रहण, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यकलाप,विकेंद्रीकृतप्रणाली जैसे-घरेलू कंपोस्टिंग और बायोगैस संयंत्र, ऋतुस्ताव अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन, कमलागतनिकास प्रणाली, सोक पिट्स आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहन निधियों का उपयोगकरनेका लचीलापन होगा। प्रोत्साहन अनुदान का उपयोग एसबीएम (जी) अथवा एसबीएम (शहरी) अथवा किसी अन्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए तदनुरूप राज्य शेयरके रूप में नहीं किया जा सकता।

<u>प्रोत्साहन अनुदान व्यय करने की जवाबदेही</u>

19. एसबीएम (जी) के अंतर्गत दिए गए प्रावधानोंके अनुसार इस परियोजना को लेखा परीक्षा आवश्यकताओं (सीएजी लेखा परीक्षाऔर सीएजी के पैनलबद्ध सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा)द्वारा कवर किया जाएगा।

20. राज्य, प्रोत्साहन अनुदानों में से राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव स्तर पर पूरी की गई परियोजनाओं/कार्यकलापों के ब्यौरे का रख-रखाव करेंगे और यह प्रमाणित करेंगेकि इन अनुदानों का उपयोग केवल इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत/सुझाए गए/कार्यकलापोंकेलिए ही किया गया है। कार्यान्वित की जा रहीं परियोजनाओं/कार्यकलापों का ब्यौरा एसबीएम (जी) एकीकृतप्रबंधन सूचना प्रणाली पर भी रखा जाएगा।

अनुलग्नक-1

संवितरण संबद्ध सूचक (डीएलआई)

विश्व बैंक सहायता परियोजना में कतिपय संवितरण संबद्ध सूचक (डीएलआई) शामिल है। इनका उद्देश्य विश्व बैंक से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को और एमडीडब्ल्यूएस से राज्यों को प्रोत्साहन अनुदानों का संवितरण करना है।

2. जहांतक एमडीडब्ल्यूएससे राज्यों को संवितरण का संबंधहै, तीन डीएलआईहै।

i. डीएलआई 1: खुले में शौच की व्याप्ति में कमी
ii. डीएलआई 2: गांवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएम) स्थिति को बनाए रखना
iii. डीएलआई 3: एसएलडब्ल्यूएम सेवा प्राप्त ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता

3. तथापि,विश्व बैंक से एमडीडब्ल्यूएस को संवितरण के लिए,इन तीन डीएलआई के अतिरिक्त 'निष्पादनआधारित प्रोत्साहन अनुदान स्कीम का प्रचालन' नामक एक चौथा, डीएलआई है।

4. राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान के संवितरण के लिए तीनों डीएलआई का ब्यौरा निम्निलखित है।

डीएलआई 1: खुले में शौच की व्याप्ति में कमी

5. इस डीएलआई के अंतर्गत, राज्य में ग्रामीण परिवारों के बीच पिछले वर्ष की तुलना में खुले में शौच में कमी के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती है। खुले में शौच काआंकलन, शौचालयों की उपलब्धता, उपयोग और इनकी सुरक्षा पर घरेलू स्तरीय प्रश्नों के आधार पर की जाएगी।

6. इस व्याप्ति पर राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण,घरेलू स्तरीय प्रश्नावली के आधार पर रिपोर्ट करेगा। किसी भी घर को खुले में शौच करता हुआ माना जाएगा यदि सभी सदस्य शौचालयों का 100% प्रयोग नहीं करते हैं।

7. प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। जो राज्य ओडी व्याप्ति में 0-3 प्रतिशत की कमी दर्ज करेंगे उनको 360 रु. प्रति व्यक्ति की दर से प्रोत्साहनदियाजाएगा। ओडी व्याप्ति में 3 प्रतिशतसे अधिक की कमी दर्ज करनेवाले राज्यों के लिए 540 रु. प्रति व्यक्ति की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

डीएलआई 2: गांवों मे ओडीएफ स्थिति बनाए रखना

8. इस परिणाम क्षेत्र के अंतर्गत निधियां, ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) गांवों में रह रही अनुमानितआबादी के आधार पर जारी की जाएंगी।

9. ओडीएफका मूल्यांकन, एमडीडब्ल्यूएस द्वारा प्रदत्त परिभाषा के आधार पर किया जाएगा जो निम्नलिखित है:

ओडीएफ'मल-मौखिक' संचारण का समापन है, जो निम्नानुसार परिभाषित होगा:-
(क) वातावरण/गांव में किसी प्रकार का मल दृष्टिगत न होना,
(ख) प्रत्येक परिवार और साथ ही सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थानों द्वारा मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्प का प्रयोग हो।

(सलाह:- सुरक्षित तकनीकी विकल्प का अर्थ है सतही मिट्टी, भू-जल अथवा सतही जल में किसी प्रकार का संदूषण न होना, मल का मक्खियों तथा जानवरों की पहुँच से दूर होना, ताजे मल को न छूना तथा दुर्गंध आदि की स्थिति से मुक्त होना।)

10. प्रोत्साहन राशिकी गणना, राज्यों में ओडीएफगांवों में रह रही ग्रामीण आबादी के आधार पर, इसमें 240 रु. प्रति व्यक्ति से गुना करके की जाएगी।

डीएलआई 3: एसएलडब्ल्यूएम सेवा प्राप्त ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता

11. राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए, एसएलडब्ल्यूएम सेवा का स्वीकार्य स्तर प्राप्त आबादी का आकलनकिया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा।

12. प्रोत्साहन राशि की गणना, एसएलडब्ल्यूएम के स्वीकार्य स्तर वाले गांवों में रह रही ग्रामीण आबादी के आधार पर, इसमें 30 रु. प्रति व्यक्ति से गुना करके की जाएगी।

13. उपरोल्लिखित तीन डीएलआई में नियत प्रति व्यक्ति राशि है। तथापि, यह संवितरण राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण से प्राप्त वास्तविक निष्पादन पर आधारित होगा।

डीएलआई 4: कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान स्कीम का प्रचालन

14. उपरोल्लिखित तीनों डीएलआई से संबंधित आधारभूत आंकड़े,पहले राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के जरिए प्राप्त किया जाएगा। पहले वर्ष में विश्व बैंक से एमडीडब्ल्यूएस को संवितरण ट्रिगर करने के उद्देश्य से,'निष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान स्कीम का प्रचालन' नामक एक चौथा डीएलआई 4 होगा। यह केवल प्रथम वर्ष के लिए प्रयोज्य होगा ताकि प्रोत्साहन स्कीम को संभव और विश्वसनीय बनाने वाले प्रयासों को गति प्रदान की जा सके।

****

संक्षिप्त शब्द	
एमडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एसबीएम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
एसएलडब्ल्यूएम	ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन
एनएआरएसएस	राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण
डीएलआई	संवितरण संबद्ध सूचक
आईवीए	स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी